

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 257

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2023-02123

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "बिलासपुर सहकारी गृह निर्माण समिति", प्रमोटर-द
बिलासपुर सहकारी गृह निर्माण समिति, द्वारा-श्री राजेन्द्र पाण्डेय, पता-बृहस्पति
बाजार, जेल रोड, जिला-बिलासपुर (छ.ग)

प्रोजेक्ट-"बिलासपुर सहकारी गृह निर्माण समिति" घुरू/बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
29/01/2024	<p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा-5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट "बिलासपुर सहकारी गृह निर्माण समिति" पंजीयन क्रमांक- PCGRERA130319000940 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनांक 13.03.2019 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनांक 30.09.2021 को समाप्त हो चुकी है। प्रमोटर द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 अनुसार प्रोजेक्ट अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आ चुका है। उक्त कृत्य भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 के उपबंधों का उल्लंघन है, जिसके लिये अधिनियम की धारा-59 के अधीन प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है।</p> <p>रजिस्ट्रार, छ.ग द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 21.11.2023 के अनुसार यह पाया गया है कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों का अवहेलना व उल्लंघन करते हुये उक्त प्रोजेक्ट की वैधता समाप्त होने के बावजूद प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 29.12.2023 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।</p> <p>- अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र दिनांक 26.02.2021 को प्राप्त किया जा चुका है। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट से संबंधित त्रैमासिक अद्यतन किया जा चुका है।</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र दिनांक 26.02.2021 को प्राप्त किया जा चुका है। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट से संबंधित त्रैमासिक अद्यतन पूर्ण</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 257

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2023-02123

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "बिलासपुर सहकारी गृह निर्माण समिति", प्रमोटर-द
बिलासपुर सहकारी गृह निर्माण समिति, द्वारा-श्री राजेन्द्र पाण्डेय, पता-बृहस्पति
बाजार, जेल रोड, जिला-बिलासपुर (छ.ग)

प्रोजेक्ट-"बिलासपुर सहकारी गृह निर्माण समिति" धुरु/बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>किया जा चुका है। अतः प्रकरण में कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p> <ul style="list-style-type: none">- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे। <p style="text-align: center;">सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p>	